यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 71 / 2018 **दिनांक :** 29.06.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

हाल के दिनों में सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी को निवेश बढ़ाने की अनुमति देने के प्रस्ताव की खबरें अखबारों में आ रही हैं। हम इस विषय में हमारे महामंत्री, साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा श्री पीयूष गोयल, माननीय वित्त मंत्री (अंतरिम), वित्त मंत्रालय को लिखे गए पत्र संख्या एआईबीईए / जीएस / 2018 / 54 दिनांक 29.6.2018 का अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

श्री पीयूष गोयल
माननीय वित्त मंत्री (अंतरिम)
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

- **सरकार को आईडीबीआई बैंक पर अपनी प्रतिबद्धता से मुँह नहीं फेरना चाहिए**

एलआईसी को आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयरधारिता में अपना निवेश बढ़ाने की अनुमति देने के प्रस्ताव के बारे में हाल के दिनों में प्रेस में लगातार खबरें दिखाई दे रही हैं जो आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता को स्पष्टतः और काफी हद तक कम कर देगा, शायद निर्धारित 51% से भी कम।

आप कृपया स्मरण करें कि जब सरकार आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक में बदलने के लिए 2003 में अधिनियमन लाई थी, सरकार ने संसद में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हर समय सरकार आईडीबीआई बैंक की नई व्यवस्था में शेयरधारिता बनाये रखेगी जो 51% से कम नहीं होगी। इस आश्वासन के आधार पर, संसद द्वारा विधेयक को अनुमोदित किया गया था।

जारी पृष्ठ 2

अब, आईडीबीआई बैंक में खराब ऋणों के विशाल ढेर के कारण, आईडीबीआई बैंक के लिए अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। आईडीबीआई बैंक की पूंजी में निवेश के लिए एलआईसी से प्रस्ताव माँगना इस आवश्यकता के कारण उत्पन्न हो रहा है। यह गोपनीय नहीं है कि आईडीबीआई बैंक में पूंजी में क्षरण केवल खराब ऋणों में भारी वृद्धि के कारण है।

यदि ये खराब ऋण बैंक के अधिकारियों के खराब और दुर्भावपूर्ण निर्णयों के कारण हैं, तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि खराब ऋणों का संचय आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन के कारण है और ऐसे विशाल ढांचागत ऋण आज खराब हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और अतिरिक्त पूंजी प्रदान करनी चाहिए।

लेकिन किसी भी मामले में, सरकार को अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम करने के लिए खराब ऋणों के कारण उत्पन्न बैंक की वर्तमान दुर्दशा का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो संसद तथा राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता से मुँह फेरने के समान है।

इसके अलावा यह इंगित करना उचित है कि जबकि निवेश करना एलआईसी के व्यापार का हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी हानि देने वाले संस्थानों को आम लोगों के हितों की कीमत पर एलआईसी द्वारा मुक्ति दी जाए जो एलआईसी में निवेशक हैं। यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि भारी खराब ऋणों का सामना कर रहे बैंकों के समान ही, एलआईसी को भी अनार्जक आस्तियों/निवेशों के विशाल पोर्टफोलियो का दायित्व सौंपा गया है। इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए कठोर उपाय करने के बजाय, बैंक में और अधिक निवेश बढ़ाना जो कि भारी खराब ऋणों का सामना कर रहा है और हानि दे रहा है उचित प्रस्ताव नहीं है।

आईडीबीआई बैंक एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं और इसकी समस्यायें जैसे कि लाभप्रदता, खराब ऋण और अपर्याप्त पूंजी, आदि को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए लेकिन सरकार का प्रतिबद्धता से मुँह फेरना कोई समाधान नहीं है। सरकार को बैंक में न्यूनतम 51% हिस्सेदारी बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए और अतीत की तरह पर्याप्त पूंजी योगदान के साथ आगे आना चाहिए।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र

ह0..

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री